प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1008 / 2022

अनवान : –

1. जसवन्त सिंह पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. पार्वती पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. जयप्रकाश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **वादी**

निर्णय दिनांकः 10/6/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 384 / 401 की कुल 5.9810है0 भूमि के वादी के दादा नत्थुराम पुत्र बस्तीराम खातेदार काश्तकार थे। वादी के दादा की फौतदगी के बाद उक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणों पर औद हुई उन्होनें वादग्रस्त भूमि का खाता तकसीम करवा लिया तथा प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 3894 / 401 की कुल 5.9810है0 भूमि हिस्से में आई जो की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एव प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इ[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 384/401 के ख0न0 782/1 की 1.7700है0, ख0न0 782/2 की 0.2530है., ख0न0 782/7 की 0.5060है0, ख0न0 782/9 की 3.4520है0 कुल 5.9810है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण 2 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा है। इसिलए रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 384/401 की कुल 5.9810है0 भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 नाम दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उजर व एतराज नही है, हमारी पूर्णतया सहमति है। हम पक्षकारान भविष्य में उक्त भूमि बाबत कोई दावा आपत्ति नही करेंगें। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब का हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 384/401 के ख0न0 782/1 की 1.7700है0, ख0न0 782/2 की 0.2530है., ख0न0 782/7 की 0.5060है0, ख0न0 782/9 की 3.4520है0 कुल 5.9810है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि यदि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी पक्षकारान की आपसी सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 384/401 की कुल 5.9810है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 तथा 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 4 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1008 / 2022

अनवान : –

1. जसवन्त सिंह पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. पार्वती पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. जयप्रकाश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1008 सन 2022 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 384 / 401 की कुल 5.9810है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में 1 / 3 हिस्सा भूमि में वादी एवं 1 / 3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 तथा 1 / 3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 4 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:48 IST
Reason: SelfAttested